

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,परिमण्डल-मुरादाबाद ।  
पत्रांक 1761 / ग्रा0अ0वि0 / एस0टी0 / ठेके0पंजी0पत्रा0-337 / 2019-20दि0 24/02/20

-:पंजीकरण संशोधन प्रमाण पत्र:-

श्री महेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व0 श्री ओमकार सिंह यादव निवासी-गोविन्द नगर बीजना हाउस के पीछे थाना कटघर तहसील व जिला मुरादाबाद को इस कार्यालय में मार्ग निर्माण कार्य हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या- 1448 दिनांक 25.01.2019 द्वारा श्रेणी "सी" में पंजीकरण क्रमांक 337 पर पंजीकृत किया गया था। इस पंजीकरण की वैधता दिनांक 30.06.2021 तक है।

वर्तमान में श्री महेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व0 श्री ओमकार सिंह यादव निवासी- गोविन्द नगर बीजना हाउस के पीछे थाना कटघर तहसील व जिला मुरादाबाद ने भवन निर्माण कोटि में भी पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है जिसके साथ संलग्न भवन निर्माण कार्य से संबंधित बांछित अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने हेतु प्रकरण संबंधित अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0 मुरादाबाद को प्रेषित किया गया, जिसे अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0 प्रखण्ड मुरादाबाद द्वारा अनुभव प्रपत्रों के सत्यापन उपरांत प्रकरण इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रस्तुत प्रपत्रों पर सम्यक विचारोपरांत श्री महेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व0 श्री ओमकार सिंह यादव निवासी- गोविन्द नगर बीजना हाउस के पीछे थाना कटघर तहसील व जिला मुरादाबाद के उक्त पंजीकरण संख्या-337 को संशोधित करते हुए परिमण्डल के अन्तर्गत मार्ग एवं भवन निर्माण कार्य के लिए श्रेणी "सी" में ठेकेदारी हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र परिमण्डल के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा इसकी वैधता अवधि दिनांक 30.06.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड मुरादाबाद में वैधता तिथि समाप्त होने के 2 माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

  
(राम चन्द्र)

अधीक्षण अभियन्ता,

कार्यालय,अधीक्षण अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग मुरादाबाद परिमण्डल मुरादाबाद ।


पत्रांक /एस0टी0 (364) /ग्रा0अ0वि0 /2019-20 दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- श्री महेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व0 श्री ओमकार सिंह यादव निवासी- गोविन्द नगर बीजना हाउस के पीछे थाना कटघर तहसील व जिला मुरादाबाद को उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि यदि उक्त पंजीकरण की वैधता अवधि से पूर्व आपके हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो रही है तो आपको उक्त प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि समाप्ति की तिथि से पूर्व नवीन हैसियत/चरित्र प्रमाण पत्र अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। यदि आपके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र कार्यालय में समय से उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो उक्त स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को आपके पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा अथवा आप परिमण्डल के अन्तर्गत टेण्डर लेने/डालने के पात्र नहीं होंगे।

2- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड मुरादाबाद/रामपुर/बिजनौर/अमरोहा/सम्भल तदानुसार अनुपालन एवं अभिलेखार्थ प्रेषित।



  
अधीक्षण अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
परिमण्डल मुरादाबाद ।